

16-03-19

वकील अपीलान्ट अपण अधिवक्ता कारा दिनांक 11-11-19 को पेश प्रपत्र का हवाल देते हुए अकार कराय कि पक्षकारों के मध्य अधिनस्थ न्याया- मे राजीनामा हो गया है। इसलिये हम इस अपील को इसी स्तर पर रवारिज करना चाहते हैं। पार्थना पत्र दिनांक 11-11-19 का अवलो क्रम किया। अधिनस्थ न्यायालय में बूल दावा राजीनामा से निर्णित हो चुका है। तो बूल दावे से संबंधित 212 प्रपत्र की अपील को चलाता ओपिल्य हीन हे स्पेण्डि प्रपत्र 212 की अपील प्रभाव हीन हो चुकी है। अतः प्रकरण प्रभाव हीन में रवारिज किया जाता है। पत्रावली फेसल शुभार होकर नम्बर से कम की जावे, बाद आपका कार्यालय दफतर हो।

पु-प्रधान नविसारी
बदेन
राज्य अपील अधिकारी
जयपुर सैम्प-डीतपुर